

एक नजर में

वामा साहित्य मंच की मासिक बैठक



इंदौर. शहर के प्रतिष्ठित वामा साहित्य मंच ने अपनी मासिक बैठक में इस बार एक अत्यंत महत्वपूर्ण, संवेदनशील व संस्कृति के अभिन्न विषय हमारी जनजातियाँ, हमारी पहचान-जल, जंगल, जमीन के साथी, हमारे आदिवासी पर केंद्रित एक सफल आयोजन किया. मासिक बैठक में मां शारदे की वंदन स्तुति प्रथिमा जाट ने की. मंच की अध्यक्ष ज्योति जैन ने अपने स्वागत उद्बोधन में इस बार के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा यह आयोजन हमारी जनजातियाँ विरासत के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. तत्पश्चात् मंचासीन अतिथियों ने नव चयनित युवा डिट्टी कलेक्टर हार्षिता देवे को सम्मानित किया. कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध विद्वान डॉ. सखाराम मुजुलदे उपस्थित रहे. उन्होंने वामा साहित्य की समयबद्धता की प्रशंसा की तथा बताया कि आदिवासी समाज महिला प्रधान होता है. नारी सशक्तिकरण क्या है देखा है तो जनजातीय समाज को देखें, उनको देखकर आश्चर्य होगा कि वे नारी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, वर्चस्व में शहरी महिलाओं से बढ़कर है. इसके बाद विभिन्न कवयित्रियों और साहित्यकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से जनजातीय जीवन, कला और संस्कृति के बहुगी फलुओं को उजागर किया. मंच संचालन की जिम्मेदारी रश्मि चौधरी ने कुशलतापूर्वक निर्वहन की. अंत में, अंजना चक्रपाणि मिश्रा ने सभी सहभागियों का आभार व्यक्त किया.

सहयोग समाज सेवा का अन्नकूट महोत्सव



इंदौर. सहयोग समाज सेवा संस्था द्वारा गुजरात परिसर सुदामा नगर में भव्य अन्नकूट महोत्सव मनाया गया. संस्था का यह 21वां वर्ष है जिसमें अन्नकूट महोत्सव के तहत छपन भोग व महाप्रसादी वितरण सम्पन्न हुआ. इस अवसर पर श्रीनारायणी का सुन्दर व दिव्य श्रृंगार किया गया. प्रभुश्री को छपन भोग लगाया गया. भगवान की महाआरती उपरान्त गोमाता को अन्नकूट प्रसाद लगाया गया. महाप्रसादी आरोग्य हेतु सुदामा नगर - डी सेक्टर सहित विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित हुए. इस अवसर पर मुख्य रूप से विधायक मालिनी गौड़, युवा नेता एकलव्यसिंह गौड़, महापौर पुष्पामिर् भागवत, राष्ट्रीय कवि प्रोफेसर श्याम सुन्दर पटोड, संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अश्वथोष यादव, एसडीएम प्रिया वर्मा पटेल, सुनील गुप्ता, मंदेश जायसवाल, सीमा अग्रवाल, राहुल चौहान, रूप माहेश्वरी, किरण जैन, डॉ. गायत्री पटोड, हर्षा चौहान, गुंजा गुप्ता इत्यादि उपस्थित थे.

तीन दिवसीय मालारोपण महोत्सव आज से

इंदौर. वीआईपी रोड, दलालबाग स्थित नवरत्न नगरी पर जैनाचार्य, युवा हृदय सम्राट विश्वरत्न सागर के पावन सानिध्य में गत 2 अक्टूबर से चल रहे उपधान तप का 3 दिवसीय मालारोपण महोत्सव 19 नवंबर से प्रारंभ होगा. 20 नवंबर को सुबह 8.30 बजे उपधान तप में शामिल देशभर से आए 133 तपस्वियों का भव्यति भव्य वरघोडा पीपली बाजार उपाश्रय से प्रारंभ होकर वैद-बाजों एवं सभी साधु-साध्वी-भक्तवर्तों सहित दलाल बाग पहुंचेगा. आयोजन समिति के संयोजक पुष्पपाल सुराना, कैलाश नाहर, ललित सी. जैन, मनीष सुराना, दिलसुखराज कटारिया, प्रोडेश ओस्तवाल, अंकित मारु, दिलीप मंडोवरा एवं पीक सुराना ने बताया कि 19 नवंबर को सुबह 9 बजे श्रीपार्ष्णनाथ पंचकल्याण पूजन के साथ उपधान तप उत्सव एवं मोक्षमाल महोत्सव का शुभारंभ पीपली बाजार उपाश्रय पर होगा.

नगर निगम ने दौलतगंज में जर्जर मकान तोड़े

पांच में से तीन मकानों पर की कार्रवाई



नव भारत न्यूज इंदौर. नगर निगम रिमूवल दस्ते ने आज दौलतगंज के तीन खतरनाक मकानों को हटाने की कार्रवाई की. निगम के रिमूवल दस्ता 5 मकानों पर कार्रवाई करने गया था, लेकिन दो मकान पर हाईकोर्ट का स्ट्रे मिलने के कारण कार्रवाई नहीं की गई.

नगर निगम ने आयुक्त दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर शहर में खतरनाक मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. इसका कारण जवाहर मार्ग पर दो महीने पहले बारिश के दौरान एक पांच मंजिला मकान गिर गया था, जिसमें दो लोगों की मृत्यु और पांच चायल हो गए थे.

उक्त घटना को ध्यान में रखते हुए नगर निगम रिमूवल

दस्ता आज रानीपुरा दौलतगंज के खतरनाक भवन हटाने पहुंचा. आज निगम रिमूवल दस्ते द्वारा पांच खतरनाक मकानों को तोड़ने की कार्रवाई

की जाना थी, लेकिन तीन मकान ही हटाने की कार्रवाई की गई. दो मकानों पर हाईकोर्ट का स्ट्रे आने से कार्रवाई नहीं हो सकी.

दो मकानों पर हाईकोर्ट का स्ट्रे

इंजोन 11 के भवन अधिकारी जीतेश तिवारी ने बताया कि 2 मकानों पर हाईकोर्ट का स्ट्रे होने के कारण कार्रवाई नहीं की है। 26 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई है. निगम वहां अपना पक्ष रखेगा।

कार्रवाई के दौरान भवन निरीक्षक जिज्ञान अली और रिमूवल प्रभारी बबलू कल्याण मौजूद थे.

ऑनलाइन टास्क इन्वेस्टमेंट टगी में

फ्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता

महाराष्ट्र से गैंग का चौथा सदस्य गिरफ्तार

नव भारत न्यूज इंदौर. टेलीग्राम टास्क इन्वेस्टमेंट के नाम पर 60 लाख की ऑनलाइन टगी करने वाली गैंग को लेकर क्राइम ब्रांच ने चौथी गिरफ्तारी की है. आरोपी फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराकर देशभर में लोगों से करोड़ों की टगी करने में शामिल था. एडोसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया कि एनसीआरपी पोर्टल 1930 पर इंदौर निवासी मोहम्मद हदियायतुल्ला ने टेलीग्राम टास्क के जरिए इन्वेस्टमेंट टगी की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया था कि शुरू में छोटा लाभ देकर भरोसा जीतने के बाद आरोपी गैंग ने उससे करीब 60 लाख रुपये की टगी कर ली. मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच ने प्रकरण दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश कर रही थी. टीम ने तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर जानकारी की मदद से

महाराष्ट्र के संभाजी नगर निवासी कृष्णा कदम को गिरफ्तार किया है. आरोपी गुजरात में सक्रिय टगी गिरोह को फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराता था.

टगी गैंग ने देशभर में फैला रखा है टास्क इन्वेस्टमेंट का जाल

आरोपी ने बताया गैंग ने देशभर में इसी तरह के टास्क इन्वेस्टमेंट के जाल में फंसाकर सैकड़ों लोगों से धन ऐंठा है. पुलिस गैंग के नेटवर्क, धन के प्रवाह और अन्य सदस्यों के ठिकानों की जांच में जुटी है. क्राइम ब्रांच पहले ही हरियाणा व महाराष्ट्र से तीन आरोपियों मंदीप निवासी हिसार, गुरदीप बूरा निवासी हरियाणा और सिद्धेश्वर खांड भराड़ निवासी महाराष्ट्र को गिरफ्तार कर चुकी है. टीम ने गैंग से जुड़े 40 से अधिक बैंक खातों में जमा लाखों भी फ्रीज किए हैं.

स्टेशन के पास मिली लाश की गुत्थी सुलझी

पहचान के बाद कब्र से निकाला शव

नव भारत न्यूज इंदौर. लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन के पास कुछ दिन पहले मिली अज्ञात युवक की मौत का मामला स्पष्ट हो गया है. पुलिस ने मृतक की पहचान कर ली है और दफनाए गए शव को निकालकर आगे की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर ने बताया कि न्यू प्रिंस नगर, बाणगंगा निवासी 37 वर्षीय योगेश पांचाल 13 नवंबर को घर से निकला था. उसी दिन वह अपने दोस्तों रवि, टनू और राकेश के साथ बाणगंगा स्थित वाइन शॉप पर शराब पी रहा था.

इस दौरान पैसों को लेकर तीनों से उसका विवाद हो गया था. बाद में सभी साथी वहां से चले गए थे. यह जानकारी उसके

दोस्त टनू ने पुलिस को दी है. उसी दिन योगेश का शव लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन के पास मिला था, लेकिन पहचान न होने से जीआरपी ने उसे लावारिस मानकर दफना दिया.

परिवार ने 14 नवंबर को गुमशुदगी दर्ज कराई थी. सोमवार को फोंटो के आधार पर परिजनों ने शव की पहचान कर ली. पहचान के बाद आज मुंगलवार को पुलिस पंचकुड्या मुक्तिधाम पहुंची और शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम व अन्य वैज्ञानिक जांच कराने की प्रक्रिया शुरू की. साथ ही, पुलिस योगेश के तीनों साथियों से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि उसकी मौत दुर्घटना, आत्महत्या या किसी अन्य कारण से तो नहीं हुई.

जनसुनवाई : दो मामलों का तत्काल समाधान, वापस दिलाए रुपए और सोना

मध्यस्थता केंद्र की पहल से फाइनेंस राशि और कीमती आभूषण मौके पर ही लौटाए गए

नव भारत न्यूज इंदौर. पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सभागार में साप्ताहिक जनसुनवाई में मंगलवार को पहुंचे दो आवेदकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करते हुए मध्यस्थता केंद्र की मदद से विवाद से जुड़े पक्षों को समझाइश दी गई और दोनों मामलों में राशि व आभूषण मौके पर ही वापस कराए. प्रशासनिक हस्तक्षेप से दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहे लंबित आर्थिक विवाद तुरंत निपट गए.

जनसुनवाई में 66 वर्षीय सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल एलएनटी फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस कराई थी. किस्तों में से 30 हजार रुपये कंपनी के कर्मचारी संतोष जाट को जमा कराने के लिए दिए थे, लेकिन वह राशि कंपनी में जमा नहीं की गई. शिकायत सुनने के बाद मामले को तत्काल मध्यस्थता केंद्र भेजा,



शिकायतें सुनकर पुलिस कमिश्नर ने दिए तुरंत कार्रवाई के निर्देश

कमिश्नर कार्यालय के सभागार में आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं को विस्तार से सुना गया. शासन के निर्देशानुसार हर सप्ताह होने वाली इस जनसुनवाई में पुलिस आयुक्त ने नागरिकों को बात ध्यानपूर्वक सुनी और उन्हें शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया. इस मंगलवार को 47 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें आपसी विवाद, पारिवारिक कलह, सुनवाई न होने की शिकायत, प्लॉट और जमीनी से जुड़ी धोखाधड़ी, झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने, महिला अपराधों सहित पुलिस से संबंधित विभिन्न मुद्दे शामिल रहे. पुलिस कमिश्नर ने हर मामले पर संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश देते हुए तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा. जनसुनवाई में कुछ आवेदन ऐसे भी मिले, जिनके तथ्य अन्य विभागों से जुड़े हुए थे.

जहां कर्मचारी को उपस्थित होने के निर्देश दिए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद केंद्र की समझाइश पर अनावेदक ने आवेदक को मौके पर ही 30 हजार रुपये नकद लौटा दिए.

इसी तरह अतुल श्रीवास्तव निवासी क्लिफ्टन पार्क ने भी जनसुनवाई में उपस्थित होकर बताया कि कंपनी से उनका सोना व नकदी वापस नहीं मिल रही थी. शिकायत में 44 ग्राम सोना और 2 लाख रुपये नकद का उल्लेख था. मामले को मध्यस्थता केंद्र के पास भेजा, जहां दोनों पक्षों की उपस्थिति में बात हुई और समझाइश के बाद आवेदक को लगभग छह लाख रुपये मूल्य का सोना और नकद वापस करने पर सहमत बनी. मामले में अधिकारियों का कहना है कि जनसुनवाई का उद्देश्य आमजन की वास्तविक समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करना है, और मध्यस्थता केंद्र ऐसे विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

कबाड़ा व्यापारी से मारपीट करने वाले तीन बदमाश पकड़े

इंदौर. पुष्प वाटिका क्षेत्र में कबाड़ा खरीदने गए युवक पर किए गए हमले के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है. तिलक नगर पुलिस ने एक और प्रकरण में तुरंत कार्रवाई की है. फरियादी 35 वर्षीय गौरव, निवासी धीरज नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह कबाड़ा खरीदने के काम से पुष्प वाटिका, वंदना नगर के मुख्य मार्ग से गुजर रहा था. इसी दौरान विनोबा नगर के रहने वाले छोट्टे वर्मा, आदित्य वर्मा और विकी उससे भिड़ गए. पुराने विवाद को लेकर तीनों ने उसे गालियां देते हुए पथर और चाकू से हमला किया.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) (CIN- L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुनिश्चित रूप प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण कर्तव्य संबंधित संश्लेषण के बंधक वस्तु सूचीकृत किए गए हैं. सूचित वे संबंधित ऋण समझौते की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को असीमापूर्वक दिना-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में स्वीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा राशि का उल्लेख संबंधित नॉटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आम ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध के दर अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेवरान 13 (2) नोटिस तिथि	सेवरान 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	14289978	गृह ऋण	30.10.2025	₹. 8,47,100.52/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. जितेंद्र गुर्जर 2. क्षेत्रबाई जितेंद्र

संश्लेषण का पता: लॉट/खंड/सर्वे संख्या 244 का वह प्लॉट टुकड़ा, कुल क्षेत्रफल 1092 वर्ग फुट (101.48 वर्ग मीटर), पीपल नंबर 82, गौव पथर प्रदेश-455336 पर स्थित है, और इस्का यति निम्नलिखित से घिरी हुई है- पूर्व- कॉमन रो, पश्चिम- गली 8 फुट. उत्तर- लाइसिंह गुर्जर का मकान, दक्षिण- जीवन सिंह गुर्जर का मकान।

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेवरान 13 (2) नोटिस तिथि	सेवरान 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
2.	119361191	गृह ऋण	30.10.2025	4,94,110.53/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. महेंद्र सिंह 2. निखिलेश महेंद्र

संश्लेषण का पता: 900 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला भूखंड, सर्वेक्षण संख्या 95, पी.एच.एन.ओ. 65 पर स्थित, राम मंदिर के पास, गौव- खरसी, तहसील- सोनकच्छ, जिला- देवास, मध्य प्रदेश- 455118, और सीमा- पूर्व- स्थानीय सड़क, पश्चिम- हरिसिंह का मकान, उत्तर- चंदर सिंह का मकान, दक्षिण- विलेता की शेष भूमि.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेवरान 13 (2) नोटिस तिथि	सेवरान 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
3.	22882155	गृह ऋण	25.10.2025	₹. 2,52,789.47/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. प्रभु लाल तनवाल 2. दीपक खराड़ी 3. शारदा भावा जी

संश्लेषण का पता: लॉट संख्या, सर्वे संख्या 2214/71, 2215, 2216, 14/31, क्षेत्रफल 0.007 हेक्टेयर, यानी 750 वर्ग फुट यानी 69.70 वर्ग मीटर का वह प्लॉट टुकड़ा और पारसल, विद्यार्थी इंदर नगर कॉलोनी, सर्वे संख्या 01, नगर परिषद, बदनागर जिला, धार, मध्य प्रदेश- 454660 में स्थित है, और इस्का सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व- रोड, पश्चिम- कोलीनी रोड, उत्तर- श्रीमान का घर, रंजिती यादव, दक्षिण- अन्य का मकान।

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेवरान 13 (2) नोटिस तिथि	सेवरान 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
4.	55402042 और 34201171	संश्लेषण पर ऋण	15.10.2025	₹. 3,21,652.36/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. रामविलास उडके 2. गीता उडके

संश्लेषण का पता: भूमि का वह प्लॉट टुकड़ा और पारसल, सर्वेक्षण संख्या 410/2/मिन-27, कुल क्षेत्रफल 15 x 60 = 900 वर्ग फुट (0.008 हेक्टेयर), वाई क्रमांक 04, आनंद मार्ग खेतगांव, ग्राम पंचायत मरमाक 37 (पुराना क्र. मकान 18), तहसील- खातेवा, जिला- देवास, मध्य प्रदेश-455336 पर स्थित है, और इस्का सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व- विकेता की शेष भूमि, पश्चिम- 12 फीट चौड़ा उत्तर, उत्तर- राठोर का घर, दक्षिण- विकेता की शेष भूमि.

आपको उम्मेद तालिका में वर्णित हुए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ऋण दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकार की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे इस्तेमाल की गई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देव राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संश्लेषण के विरुद्ध एक्सएचएफआई अर्द्धविक्रय की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होगा परंतु आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है), इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिट्टी (एड्यु या अन्याय के माध्यम से उक्त सुनिश्चित परिसंपत्तियों को स्थानान्तरित करने से प्रतिबंधित किया गया है).

आपकी/आपकी/आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक: 19.11.2025

स्थान: मध्यप्रदेश

कोर्ट आदेश पर जांच के लिए अभ्यावेदन किया दाखिल

डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर मेमोरियल सोसायटी की जांच का मामला

महू. बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर जन्मभूमि की संचालक संस्था डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर मेमोरियल सोसायटी की जांच के मामले में हाईकोर्ट इंदौर के आदेश के परिपालन में दो तिहाई बहुमत वाले सदस्यों ने अपना अभ्यावेदन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है. यह जानकारी देते हुए भते प्रजाशील उर्फ प्रकाश वानखेड़े ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार बिंदुवार अभ्यावेदन उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव एवं रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटी, भोपाल के समक्ष दाखिल कर दिया गया है.

वानखेड़े ने बताया कि इस अति संवेदनशील मामले में स्थानीय स्तर पर हुई गंभीर प्रशासनिक लापरवाही, कथित सांगाठों और सुनियोजित षड्यंत्र के चलते उपजा विवाद इतना संगीन है कि एकमात्र रिपोर्ट जल्दी और निष्पक्ष जांच से ही कोई विधिबद्ध निर्णय हो सकता है. इस अभ्यावेदन के दाखिल होने पर अब सदस्यों को उच्चधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई होने और न्याय मिलने की उम्मीद जागी है.



सहायक पंजीयक पर एकपक्षीय कार्रवाई का आरोप

प्रकाश वानखेड़े ने यह आरोप भी लगाया कि स्थानीय प्राधिकारी सहायक पंजीयक बीडी कुबेर ने कथित दबाव प्रभाव में दस्तावेजों का निरीक्षण किए बिना एकपक्षीय कार्रवाई की, जबकि सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी में स्पष्ट है कि समिति का बीते 4 वर्षों का कोई डाटा पंजीयन कार्यालय में जमा ही नहीं कराया गया. उक्त गंभीर कृत्यों से खुद को बचाने और स्मारक पर अवैध कब्जा बनाए रखने के लिए निष्कासित सचिव ने सारा फर्जीवाड़ा किया है. समिति की जांच के लिए सदस्यों, आंबेडकर अनुयायियों, विभिन्न सामाजिक, धार्मिक संगठनों ने भी कई बार कलेक्टर कार्यालय, संभागायुक्त कार्यालय के समक्ष आंदोलन प्रदर्शन कर ज्ञापन और शिकायतें की हैं.

सोसायटी के निष्कासित सचिव पर लगाए गंभीर आरोप

वानखेड़े के अनुसार, बीते पांच दशक पुरानी इस अंतरराष्ट्रीय संस्था डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल सोसायटी द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्मारक भीम जन्मभूमि, करोड़ों आंबेडकर अनुयायियों व सविधान में आस्था रखने वाले देशवासियों के लिए पवित्र तीर्थ है. भाजपा सरकार ने इस जन्मभूमि पर भव्य स्मारक बनवाया, महत्वाकांक्षी योजना पंचतीर्थ का पहला तीर्थ भी घोषित किया. जयती आयोजन के लिए भी सरकार सालाना करोड़ों रुपये खर्च करती है, लेकिन निजी हित, लालच के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निष्कासित सचिव ने संस्था के नियम व उद्देश्यों के विपरीत संचालन, गंभीर आर्थिक अनियमितताएं, कथित भ्रष्टाचार व दानराशि का दुरुपयोग किया, जिसका विरोध करने वाले सदस्यों की आवाज दबाने के लिए समिति दस्तावेजों में कूटचरना से अपने भाई, भतीजों, रिश्तेदारों, साथियों को फर्जी सदस्यताएं देकर रात के अंधेरे में राष्ट्रीय स्मारक के ताले तोड़कर अवैध कब्जा कर लिया.

हुनर के साथ मार्केटिंग करना भी आना चाहिए

इंदौर. एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश के सभागृह में एमएसएमई विकास कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में प्रधानमंत्री विश्वकर्म जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.



कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश मेहता ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में नारी शक्ति की इतनी संख्या से पता लगता है कि अब महिलाएं भी शासकीय योजनाओं में भाग ले रही हैं, आज हमारे विश्वकर्मियों को अपने हुनर के साथ साथ मार्केटिंग करना भी आना चाहिए जिससे आम सभी कोटेडरों के सके, एस्टेमेटेड दे सके, बिजनेस की बातचीत कर सके. आज हमारे बच्चे ये काम करना नहीं चाहते किन्तु हमने अपने पूर्वजों से ही ये सब कार्य सीखे हैं. आज हमें अपने बच्चों को हाथ से

हुनर वाले कार्यों के लिए प्रेरित करना होगा जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के

प्रशिक्षण व मंच प्रदान करना उद्देश्य

सहायक निदेशक एमएसएमई गौरव गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना केन्द्र सरकार द्वारा नए भारत में विश्वकर्मियों के सम्मान में संचालित नवीन योजना है और इसमें पारम्परिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके पारम्परिक उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने में शुरू से अंत तक समग्र सहायता प्रदान करने की परिकल्पना योजना तहत की गई है. योजना के उद्देश्यों के अन्तर्गत कारीगरों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देना और उन्हें योजना का लाभ दिलाकर पात्र बनाना, कार्यालय प्रदान करना, बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता देना, ब्रांड प्रचार और बाजार लिंकेज के लिए प्रशिक्षण व एक मंच प्रदान करना है.

अनुरूप विकसित भारत का सपना साकार हो सके. आपने उपस्थितजनों से

अधिक से अधिक इस योजना का लाभ लेने का आह्वान करते हुए कहा कि कौशल से ही राष्ट्रहित सम्भव है इसलिए अपनी प्रतिभा को समझे और अच्छे हुनरदार कारीगर बनने हेतु योजना के लाभ लेकर उठते निखारें. कार्यक्रम में एमएसएमई डीएफओ इंदौर के संयुक्त निदेशक नीरज अरोरा, मीशों के आशुतोष राणा, पेटेटीम के प्रमूल खंडेलवाल, सुजीत कुमार घोष, अचिंत श्रीवास्तव, उदित अग्रवाल आदि ने भी प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित किया. इस अवसर पर सचिव तरुण व्यास, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वकर्मा वंशी मनोज पांचाल, आदि अन्य गणमान्यजन कार्यक्रम में उपस्थित थे. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जागरूकता कार्यक्रम में 140 से अधिक पुरुष एवं महिला विश्वकर्माओं द्वारा सहभाग लिया गया।



कर्मचारियों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण

इंदौर. रोटर क्लब ऑफ इंदौर सेंट्रल द्वारा मध्य प्रदेश वित्त निगम कार्यालय में प्रख्यात रेटिना सर्जन डॉ. सुमित अग्रवाल ने निगम के सभी कर्मचारियों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया. उन्होंने कहा कि आँखों में रेटिना रोग बिना दर्द और बिना लक्षण के बढ़ते हैं. सही समय पर जांच कराने से दृष्टि हानि से रोका जा सकता है. रेटिना को स्वस्थ रखने के लिए हररी सज्जियाँ एवं रंगीन फलों का रोज सेवन करें. साथ ही नींद पूरी करें, तनाव से बचे एवं नियमित व्यायाम करें. रेटिना के रोगी स्टैरॉइड्स के सेवन सहित धूम्रपान और घरेलू उपचार से दूर रहें. यदि किसी को कोई लक्षण दिखे तो इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत रेटिना विशेषज्ञ से संपर्क करें. इस अवसर पर रोटर क्लब के सचिव पुरुषोत्तम वाघमारे विशेष अतिथि थे. अध्यक्षता निगम के उप महाप्रबंधक प्रशांत कुमार सिन्हा ने की.